रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122021-231617
CG-DL-E-06122021-231617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4, 2021/अग्रहायण 13, 1943
No. 632] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4, 2021/AGRAHAYANA 13, 1943

भारतीय विधिज्ञ परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2021

संदर्भः बीसीआई/D/5345/2021.—परिषद् ने उस स्थिति पर विचार किया हैं, जहां परिषद् के एक कर्मचारी ने हाल ही में अपने निलंबन के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, यह मुद्दा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कोई कर्मचारी सेवा नियम अस्तित्व में थे या नहीं, क्योंकि अब तक कोई भी सेवा नियम राजपत्रित नहीं किया गया है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् आमतौर पर प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष व्यवहार के सिद्वंतों का पालन कर रहा था और इस संबंध में कार्यकारी समिति एवं परिषद् के संकल्प और निर्णय जिन्हे कर्मचारियों के संबंध में नियम कहा जाता है और इसकें अतिरिक्त केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) में निर्धारित सिद्वंतों का भी पालन कर रहा था।

एतद्दवारा संभावित रूप से और सभी उद्देश्यों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के स्थायी कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमों के द्वारा शासित होंगे, जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद् के स्थायी कर्मचारियों के लिए सुनिष्चित भविष्य प्रगति योजना (ए0सी0पी0) भी शामिल होगी।

जबकि, यहां नीचे उल्लेखित मामलों के लिए निम्मलिखित लागू होंगे।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के स्थायी कर्मचारियों के टी0ए0 डी0ए0 नियम, छुट्टी नियम, बीमा प्रावधान और भविष्य निधि संबंधी नियम जैसा कि आज तक कार्यकारी परिषद् और सामान्य परिषद् के द्वारा लिये गये संकल्पों के द्वारा पालन किया जाता रहा है से शासित होते रहेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता हैं कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कर्मचारियों के पेंशन/सह–पारिवारिक पेंशन नियम, से कार्यकारी समिति के आयोजित बैठक दिनांक 23.02.2002 में लिए गए निर्णय जो दिनांक 01.04.2001 से प्रभावी है और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सामान्य परिषद के आयोजित बैठक दिनांक 24.02.2002 को संकल्प संख्या 11/2002 के तहत अनुमोदित है। तथापि, जैसाकि आज (अर्थात 14.02.2021) संकल्पित किया जाता हैं कि यहां पेंशन योजना अब से किसी भी

स्थाई कर्मचारी को उपलब्ध/लागू नहीं कि जायेगी जो आज के संकल्प के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से आगे नियोजित हो रहे होंगे।

तथापि, भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के इस संकल्प के राजपत्र के प्रकाशन कि तिथि तक सभी स्थाई कर्मचारी एवमं यहां तक की अनुबंधित या तदर्थ आधार पर नियोजित जिन्हे भविष्य में नियमित/स्थाई दर्जा दिया जायेगा, जो भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् मे कार्यरत है सभी के लिए वर्तमान पेंशन नियम के अनुसार सेवा निवृति पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना लागू रहेगा। यहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन योजना का तात्पर्य दिनांक 23.02.2002 को भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के कार्यकारी समिति द्वारा संकल्पित और सामान्य सभा द्वारा दिनांक 24.02.2002 को आयोजित बैठक में संकल्प संख्या 11/2002 के तहत अनुमोदित नियम से है। इस प्रकार उपरोक्त पेंशन योजना भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के सभी नियोजित कर्मचारियों पर लागू है जोकि इस संकल्प के राजपत्र मे प्रकाशन के दिनांक तक भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये है एवमं भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के पेंषन फंड से योजना जारी रहेगी यदपि आज के संकल्प के प्रकाशन के तिथि के उपरान्त भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् के द्वारा नियोजित/नियुक्त सभी स्थाई या अस्थाई कर्मचारियों पर यह पेंशन फंड योजना नियम/संकल्प लागू नहीं होगा और उनके लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कटोती/अंशदान का प्रावधान लागू होगा।

अब से, नियुक्ति नियम, अनुशासनिक नियम, बर्खास्तगी नियम, स्थायी कर्मचारियों के सुनिश्चित भविष्य प्रगति योजना (ए0सी0पी0) नियम सभी सिविल सेवा (आचरण) नियमों और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमों के द्वारा शासित होंगे, जिसमें किए गए संशोधन भी शामिल हैं।

कर्मचारियों की वरिष्ठता एवं पदोन्नति पर विचार करने के लिए सचिव, संयुक्त सचिव एवं वरिष्ठतम सहायक सचिव को सम्मिलित करते हुए एक समिति गठित की जायेगी तथा समिति द्वारा की जाने वाली अनुशंसा में कोई स्पष्ट त्रुटि न होने पर उसे भारतीय विद्यिज्ञ परिषद् की कार्यकारी समिति या सामान्य सभा द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित किया जायेगा।

इस 14.02.2021 का संकल्प को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना किया जायेगा और आधिकारिक राजपत्र मे अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो जायेगा।

श्रीमंतोसेन, सचिव

[विज्ञापन–III/4/498/असा./2021–21]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2021

Ref: BCI/D/5345/2021.—The Council has considered the situation in hand, where an employee of the Council had recently approached the Hon'ble High Court of Delhi, against her suspension. The issue as to whether there was/is any employee service Rules of the Bar Council of India in existence or not, as till now no service rules have been gazette cropped up. Up till now, Bar Council of India had generally been following the principles of natural justice and fair play and was also following principles laid down in Central Civil Services (Conduct) Rules and Central Civil Services (Classification Control and Appeal) apart from it's own Executive Committee and Council resolutions and decisions in this regard which could be worded as Rules regarding Employees.

It is hereby clarified that prospectively for all intents and purposes, permanent employees of the Bar Council of India, shall be governed by Central Civil Services (Conduct) Rules and Central Civil Services (Classification Control and Appeal) which would include Assured career Progression (ACP) Scheme for the employee of Bar Council of India.

However, for matters mentioned herein below, the following shall be applicable.

TA-DA rules, Leave Rules, Insurance Provision/s, Provident Fund, Gratuity of permanent employees of Bar Council of India, shall be governed by the resolutions taken by the Executive Council and the General Council and/or as is the practice being followed till date.

It is clarified that Pension-cum-Family Pension Rules of Employees of Bar Council of India had been effective from 01.04.2001 as per the decision taken by the Executive Committee at its meeting held on 23.02.2002 and approved by the General Council of Bar Council of India at its meeting held on 24.02.2002 vide Resolution No.11/2002.

However, as resolved today (i.e., 14.02.2021), this Pension scheme, shall henceforth not be made available/applicable to any permanent employee who is going be employed beyond the date of publication of today's resolution by way of notification in the Official Gazette.

However, all those permanent employees and those even on contract or Ad-hoc basis employee, who are regularized/given permanent status in future, who are working in the Bar Council of India on the date of publication of this resolution in gazette, shall continue to get pension and be governed by the Pension Scheme upon retirement as per the present practice (Pension-cum-Family Pension Rules, here the meaning of Pension-cum-Family Pension Rules is related resolution taken by Executive Committee dated 23.02.2002 and approved by the General Council of Bar Council of India at its meeting held on 24.02.2002 vide Resolution No.11/2002).

Thus, the afore-referred Pension scheme is applicable for all the Employees of the Bar Council of India who have been employed by the Bar Council of India on or before the publication this resolution by way of notification in the official gazette and Bar Council of India shall continue with the pension scheme for them. However, this pension fund scheme rule/resolution is not applicable to the new permanent or ad-hoc employees, who shall be employed beyond publication of today's resolution by way of notification in the Official Gazette and their deduction/contribution from their salary shall be done as per the provisions of the National Pension Scheme.

Henceforth, Appointment Rules, Disciplinary Rules, Dismissal Rules, Assured career Progression (ACP) of Permanent employees shall all be governed as per rules and procedure laid down by Central Civil Services (Conduct) Rules and Central Civil Services (Classification Control and Appeal) incorporating amendments made therein.

For consideration of seniority and promotion of employees, a committee shall be constituted comprising Secretary, Joint Secretary and senior most Assistant Secretary, and if there is no glaring defect in the recommendation to be made by the Committee, the same shall be accepted and approved, by the Executive Committee and General Council.

This resolution of 14.02.2021 should be notified in the official gazette and shall be made effective from the date of notification in the Official Gazette.

SRIMANTO SEN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./498/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.12.06 15:19:56 +05'30'